

**अनुमति की शर्तें।**

- (i) एकल भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वतंत्रित विद्य नहीं करती है।
- (ii) किसी भी प्रकार का निवाद (व्यापिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही अपेक्षित निगम को सूचित करेगा।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है।

**एकल नक्शे की केवल आवासीय प्रयोजनार्थ कार्यालय नगर निगम, जोधपुर**

आवेदन क्रमांक 157 दिनांक 01/07/2019

प्राप्तकर्ता राजेश कुमार शर्मा को श्री. व. श्री. नातापता गौड़

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 124 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु पानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वयंभारण राशि रुपये 28,340/- जमा

गरिबे समीत संख्या 9069/4964, 4968

दिनांक 01/07/2019 को जमा करा दी है।

सी+1

आवासीय

प्रारक्षिकार  
नगर निगम, जोधपुर

पंच गौड़  
नगर निगम, जोधपुर

R.K. Gaur  
(R.K. Gaur)  
9783266762